संख्या–165 /पाँच–1–2014–5(26)/2012

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 05 मार्च, 2014

विषयः– उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) नीति के संबंध में।

महोदय,

राजकीय स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) के माध्यम से निजी क्षेत्र से सहभागिता कर गुणवत्तायुक्त, उच्च प्रबंधन एवं उत्कृष्ठ आधुनिक तकनीक के समावेश से जनसामान्य को वहन योग्य स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– अतः सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) नीति को संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु निर्धारित सार्वजनिक–निजी सहभागिता नीति का कियान्वयन कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–165 (1)/5–1–2014–5(26)/12, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त/औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना/नियोजन/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. परियोजना निदेशक, यूपीएचएसएसपी, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) नीति।

उद्देश्य एवं सिद्धान्त– इस नीति के माध्यम से पी0पी0पी0 परियोजनाओं की स्थापना एवं कियान्वयन हेतु पारदर्शी, सुव्यवस्थित, दीर्घकालीन एवं सम्पोषणीय व्यवस्था स्थापित की जायेगी। इससे निजी क्षेत्र के सहयोग एवं भागीदारी से सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को नियोजित तरीके से सुदृढ़ करते हुये जनसामान्य को उच्च तकनीक एवं बेहतर प्रबन्धन के माध्यम से निःशुल्क/रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकेंगी।

पी0पी0पी0 परियोजनाओं को यथा सम्भव दीर्घकालीन रूप प्रदान किया जायेगा जिससे इन परियोजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुँच सके तथा अल्पकालीन व्यवस्थात्मक परिवर्तनों के कारण अनावश्यक व्यय से बचा जा सके।

इस नीति के अन्तर्गत निजी भागीदार के विधिक हित एवं आर्थिक लाभों के साथ–साथ जोखिम निर्धारण एवं हस्तानान्तरण को मान्यता प्रदान करते हुए सरकार के दायित्वों के मध्य संतुलन स्थापित किया जायेगा ताकि गुणवत्तापरक एवं संतुलित भागीदारी जनहित के लिए सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त व्यवस्था के कियान्वयन हेतु निजी भागीदार के साथ लिखित रूप से विशिष्ट उद्देश्यों, अवधि, अनुश्रवण एवं निर्गमन की व्यवस्था के आधार पर पारदर्शी प्रकिया से अनुबन्ध किये जायेगें। *प्रकरणवार* भागीदारों के अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से अनुबन्ध में इंगित किया जायेगा।

पी0पी0पी0 परियोजनाओं का कियान्वयन प्रदेश सरकार की विद्यमान पी0पी0पी0 गाइड लाइन्स एवं शासनादेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

पी0पी0पी0 परियोजनाओं में अनुबन्ध में निहित व्यवस्थायें, उनका कियान्वयन, विवाद समाधान, अनुबन्ध की समाप्ति की दशा में शासन की प्राथमिकता तथा जनहित के दृष्टिकोण से सृजित अवस्थापना एवं सेवाओं का हस्तानान्तरण/निस्तारण/संचालन, एवं अनुश्रवण की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(2) **परियोजनाओं का वर्गीकरण, उनका क्रियान्वयन तथा उनमें दी जाने वाली सुविधाएं –**

(2.1) **श्रेणी–I :– नवीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवस्थापनाओं का सृजनः** राज्य में निजी निवेश के माध्यम से पी0पी0पी0 की विभिन्न प्रचलित पद्धतियों जैसे कि डिजाइन बिल्ड आपरेट ट्रान्सफर (डी0बी0ओ0टी0), बिल्ड आपरेट ट्रान्सफर (बी0ओ0टी0), बिल्ड आपरेट ओन (बी0ओ0ओ0) एवं बिल्ड आपरेट ओन ट्रान्सफर (बी0ओ0ओ0टी0) आदि के द्वारा विभिन्न अवस्थापनाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कदम उठाये जायेगें। उदाहरणार्थ कतिपय अवस्थापना सुविधाएं निम्नवत हैः–

1. सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय।
2. लो–कास्ट चिकित्सालय।
3. निदान सेन्टर।
4. चिकित्सालयों में अन्य अवस्थापना सुविधाऐं जैसे कि कार्डियेक सेन्टर, नेफ्रोलाजी सेन्टर, डिस्ट्रक अर्ली इन्टरवेन्सन सेन्टर (डी0ई0आई0सी0), ट्रामा सेन्टर इत्यादि।

इन अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा यथा सम्भव उपलब्धता के आधार पर भूमि निःशुल्क अथवा सांकेतिक मूल्य पर निर्धारित अवधि के लिए लीज पर दी जायेगी। भूमि के तत्समय प्रचलित बाजार भाव को परियोजना की लागत में सम्मिलित किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क/रियायती दरों पर उपलब्ध करायी गयी महत्वपूर्ण एवं कीमती भूमि पर स्थापित सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों में बी0पी0एल0 एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम कीमत पर बेड्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जायेगी।

इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो पंजीकरण शुल्क में छूट पर भी आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा।

पी0पी0पी0 परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु स्थापित व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार से एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। भारत सरकार की वी.जी.एफ. (Viability Gap Funding)योजना से भी यथा संभव वित्त पोषण हेतु प्रयास किया जायेगा।

उपरोक्त परियोजनाओं के त्वरित एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का भी प्राविधान किया जायेगा।

(2.2) **श्रेणी–II :– नॉन कोर–नॉन क्लीनिकल/क्लीनिकल सेवाओं की स्थापना, प्रबन्धन एवं संचालन हेतु निजी प्रतिभागिता। यह सेवायें प्रबन्धन एवं सर्विस अनुबन्ध के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी :–**

वर्तमान में इस श्रेणी के अन्तर्गत "समाजवादी स्वास्थ्य सेवा–108" एवं " नेशनल एम्बुलेंस सेवा–102" का संचालन एवं क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सेवाओं का संचालन प्रबन्धन एवं सर्विस अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु प्रयास किया जायेगा व निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

अनुबन्ध पर दी जाने वाली सेवाओं में वर्तमान में कार्यरत राजकीय कार्मिकों को अन्यत्र स्थानान्तरित/समायोजित करते हुए उन पदों को समाप्त कर दिया जायेगा।

- मोबाइल मेडिकल यूनिट।
- मोबाइल मारच्युरी सेवा।
- अस्पताल परिसर में बागवानी।
- सफाई सेवायें।
- कैन्टीन संचालन।
- क्रेश का संचालन।
- कोल्ड चेन संचालन।
- सुरक्षा सेवायें।
- चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग।
- लैबोरेटरी, डायग्नोस्टिक एवं डायलिसिस सेन्टर आदि का संचालन।
- ट्रामा सेन्टर का संचालन/प्रबंधन।
- जेनरिक औषधि केन्द्र की स्थापना।
- आर0एस0बी0वाई0/अन्य बीमा योजनाओं का विस्तार।
- पी0पी0पी0 के अन्तर्गत एन0सी0डी0 का निदान।

- चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता।
- डिस्ट्रक अर्ली इन्टरवेन्सन सेन्टर।
- अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं।

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी सेवाओं का कियान्वयन निजी भागीदार द्वारा प्रबन्धन अथवा सर्विसेज अनुबन्ध के माध्यम से केस टू केस बेसिस पर किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप सर्विस कान्ट्रेक्ट के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में भवन/स्थान उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर निजी निवेशकर्ता द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्ति/उपकरण (एक्स–रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एम.आर. आई. मशीन आदि) की स्थापना एवं संचालन किया जा सकेगा।

इसी प्रकार प्रबन्धन अनुबन्ध के माध्यम से राज्य सरकार की स्थापित परिसम्पत्तियों/उपकरणों का उच्च गुणवत्ता के साथ संचालन निजी भागीदार के द्वारा किया जा सकेगा। परियोजनाओं हेतु संचालन व्यवस्था में एकरूपता लानें के लिए सक्षम स्तर से मानक अनुबन्ध प्रपत्र भी तैयार किये जायेगें।

प्रस्तावित योजनाओं में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग के मानक एवं व्यवस्था, वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्थित मानकों एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में भवन/स्थान उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उस पर निजी निवेशकर्ता द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्ति/उपकरण(एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एम0आर0आई0 मशीन आदि) की स्थापना एवं संचालन किये जाने की स्थिति में होने वाली जॉच की फीस की दरों आदि का निर्धारण निजी निवेशकर्ता एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आपसी सहमति से ही किया जायेगा।

निजी क्षेत्र की सहभागिता के निर्धारण एवं कियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता, निष्पक्षता, सुलभता एवं पारदर्शिता का समावेश किया जायेगा।

(2.3) **श्रेणी–III:–** **संस्थागत सी0एस0आर0, चैरिटेबल ट्रस्ट, फिलान्थ्रोपिक आर्गेनाइजेशन एवं ऐच्छिक दान प्रदाताओं द्वारा दान स्वरूप उपलब्ध कराये गये उपकरण/परिसम्पत्ति/भूमि/वाहन आदि के उपयोग की व्यवस्था :–**

- *चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीन* अस्पताल परिसरों में दान से प्राप्त धनराशि से पूर्ण निर्मित भवन, चिकित्सकीय उपचारार्थ अथवा रोगियों की सुविधाओं हेतु प्राप्त बड़े उपकरणों एवं वस्तुओं साज–सज्जा सामग्री, एम्बुलेन्स वाहन आदि दान में दिये जाने पर दानकर्ता अथवा उसके द्वारा इच्छित व्यक्ति विशेष के नाम की पट्टिका अथवा पत्थर, दान कर्ता के व्यय पर लगायी जा सकेगी।
- दान में प्राप्त एम्बुलेन्स/वाहन/अन्य उपकरणों का संचालन राज्य सरकार द्वारा *बाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से नियमानुसार अनुबन्ध पर किया जायेगा।*
- अस्पताल भवन के निर्माणार्थ उपयुक्त एवं पर्याप्त भूमि को दान में देने की दशा में उस पर निर्मित चिकित्सालय/भवन का नामकरण दानदाता अथवा उसके द्वारा इच्छित व्यक्ति विशेष के नाम पर किया जा सकेगा।
- दान सम्पत्ति के विलेखों का पंजीयन राज्य सरकार के पक्ष में किये जाने पर पंजीयन शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्राप्त होगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं/अवस्थापनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु दान अथवा सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु दान नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा।

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण, उ0प्र0
शासन।